**प्रेस नोट            पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद          दिनांक 08.01.2026**

**स्वाट टीम, अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना अंकुर विहार पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 लाइसेंसी फैक्ट्रीमेड रिवाल्वर .32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 03 खोखा कारतूस .32 बोर व 01 स्विफ्ट कार बरामद।**

**पुलिस मुठभेड/गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांकः 08.01.2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना अंकुर विहार से वांछित अपराधी किसी अन्य घटना को अंजाम देने कि फिराक में थाना क्षेत्र अंकुर विहार में घूम रहा है। सूचना पर स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा थाना अंकुर विहार पुलिस टीम को भी सूचना से अवगत कराते हुए अपने साथ लेकर ग्राम गढ़ी कटैया कट के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार में चैकिंग करने लगे। दौराने चैकिंग एक व्यक्ति स्विफ्ट कार से आता हुआ दिखायी दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो पुलिस चैकिंग व पुलिस टीम से घिरता देख वह व्यक्ति गाड़ी को तेज गति से दौड़ाने लगा, जिससे उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गयी। जिसके बाद वह व्यक्ति गाड़ी से उतरकर निर्माणाधीन प्लॉट की तरफ भागा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से हाथ में लिये असलाह से पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षार्थ जबाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहा व्यक्ति दायें पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया। जिसे समय करीब 03.15 बजे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।
दौराने पूछताछ घायल व्यक्ति ने अपना नाम संजीत पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम कनारसी थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष बताया। जिसे उपचार हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया।

उक्त अभियुक्त थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-0462/2025 धारा 109(1) बी0एन0एस0 में वांछित अपराधी है व दिल्ली मंडोली जेल में बंद कुख्यात अपराधी दीपक निवासी ग्राम अगरौला के गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसने हाल ही में थाना अंकुर विहार क्षेत्र में दीपक निवासी ग्राम अगरौला के भाई मुन्ना व उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा पर जानलेवा हमला किया था। उक्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो उक्त अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर व जनपद गाजियाबाद में आबकारी, आयुध अधिनियम व हत्या के प्रयास के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता**

(1). नाम संजीत पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम कनारसी थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 27 वर्ष

**बरामदगी का विवरण** - 01 लाइसेंसी कानपुर आर्डिनेन्स फैक्ट्रीमेड रिवाल्वर .32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 03 खोखा कारतूस .32 बोर व 01 स्विफ्ट कार बिना नम्बर बरामद। बरामदा रिवाल्वर के नम्बर घिये हुये हैं, जिसके सम्बन्ध जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

(1)-स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

(2)-थाना अंकुर विहार पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

## थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.01.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 23.12.25 को वादी की पुत्री उम्र करीब 22 वर्ष का बिना बताए घर से कहीं चले गयी व दिनांक 06/01/26 को सुबह 11 बजे घर लौट कर आयी और बताया कि मुझे आफताब नाम का लडका जो मेरा दोस्त था बहला फुसलाकर ले गया था। उसने मुझे अपने जीजा के घर में कैद करके रखा था, मैं किसी प्रकार से वहाँ से बचकर घर आयी हूँ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 87/127(6) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़िता के धारा 180 व 183 बीएनएसएस के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.01.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आफताब पुत्र मौ0 इरफान निवासी गली नं0-18 विजय पार्क मोजपुर पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को केशव चौक थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि कुछ साल पहले पीडिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में हमारे पडोस में ही रहती थी और तभी से हम दोनों की दोस्ती हो गयी थी। उसके बाद पीडिता अपने परिवार से साथ डीएलएफ में आकर रहने लगी थी परन्तु हमारी दोस्ती बनी रही और मैं पीडिता से मिलने उसके घर आता जाता रहता था। दिनांक 23.12.2025 को मैं पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसे अपने जीजा के घर पर रखा था। वहां पर मैंने उसके साथ गलत काम किया गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

आफताब पुत्र मौ0 इरफान निवासी गली नं0-18 विजय पार्क मोजपुर पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम–**

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

## थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा हथियार के बल पर लूट करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को 05 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त चाकू सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.01.2026 को राजू वर्मा पुत्र केशर वर्मा, नि0 ग्राम काऊसती जिला नोलपुर, सुनौली बार्डर नेपाल ने उपस्थित थाना आकर सूचना दी कि मेरा भतीजा सुनील उडुपी नवयुग मार्किट से काम करके वापिस आ रहा था तभी जी0डी0ए0 गेट के पीछे मो0सा0 सवार 02 अज्ञात लडको ने चाकू से हमला कर उसका मोबाइल लूट लिया है। घायल को उपचार हेतु तत्काल संतोष हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों के अनुसार घायल खतरे से बाहर है। इस सूचना पर थाना सिहानीगेट पर तत्काल मु0अ0सं0 0011/26 धारा 309(6) पंजीकृत कर घटना के अनावरण

हेतु टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्तगण 1.वीर उर्फ कल्लू उर्फ बल्लू 2. सोनू 3. अमन को चैकिंग के दौरान बस अड्डे के पास रैन बसेरे के पीछे खाली जगह से मय 05 मोबाइल सहित मय घटना में प्रयुक्त चाकू के किया गया गिरफ्तार। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया की सोनू , हर्ष और कल्लू तीनो अच्छे दोस्त हैं तीनो ने पूर्व में भी कई मोबाइल, रुपये पैसों की लूट/छिनैती /चोरी एवम मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, तीनो ही नशाखोरी के एडिक्ट हैं,दिनाँक 6 जनवरी की रात्रि करीब 11 बजे इन तीनो ने GDA गेट के पास सुनसान स्थान पर घर जाते एक व्यक्ति का मोबाइल छीनने व चाकू मारकर घायल करने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया, साथ-ही सिहानी गेट व कोतवाली क्षेत्र के अन्य स्थानों पर मोबाइल चोरी/छीना जाना भी स्वीकार किया। अभियुक्त सोनू और फरार अभियुक्त हर्ष पूर्व में भी तीन बार लूट व चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं

**बरामदगी का विवरण-**

1.घटना में प्रयुक्त एक चाकू (फल पर रक्त धब्बों सहित) अभि0 वीर उर्फ कल्लू उर्फ बल्लू से बरामद

2.एक मोबाइल ओप्पो 03 रंग नेवुला रैड आईएमईआई नम्बर 86313072031575 सम्बन्धित मु0अ0सं0 0011/26 थाना सिहानीगेट अभि0 वीर उर्फ कल्लू उर्फ बल्लू से बरामद

3.एक मोबाइल ओप्पो A5X,5G रंग मिडनाईट ब्लू आईएमईआई 8610260824068896 व 861026082406888

4.मोबाइल रैडमी रंग स्काई ब्लू आईएमईआई 866566040594973 अभि0 अमन से बरामद

5.मोबाइल फोन सैमसंग ए 14 रंग लाईट ग्रीन अभि0 अमन से बरामद

6.मोबाइल फोन वीवो वी - 27 मैजिक ब्लू अभि0 अमन से बरामद

**नाम पता अभियुक्त-**

1.वीर उर्फ कल्लू उर्फ बल्लू पुत्र चन्द्र निवासी प्राणगढ़ी, थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद (घटना कारित करने वाला अपराधी)

2.सोनू पुत्र रमेश निवासी बालूपुरा, थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद (घटना कारित करने वाला अपराधी)

3.अमन पुत्र रामदूत निवासी अम्बेडकर भवन, थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद (घटना के माल को ठिकाने लगाने वाला अपराधी)

4.सह अभियुक्त घटना में शामिल हर्ष उर्फ हीरा की तलाश जारी

**आपराधिक इतिहास-**

अभियुक्त सोनू उपरोक्त विरूद्ध पूर्व में थाना सिहानीगेट पर चोरी का 01, थाना साहिबाबाद पर लूट का 01, थाना कोतवाली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का 01 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम-**

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम